Rule 28: Value of supply of goods or services or both between distinct or related persons, other than through an agent

The value of the supply of goods or services or both between distinct persons as specified in sub-section (4) and (5) of section 25 or where the supplier and recipient are related, other than where the supply is made through an agent, shall,—

- (a) be the open market value of such supply;
- (b) if open market value is not available, be the value of supply of goods or services of like kind and quality;
- (c) if value is not determinable under clause (a) or (b), be the value as determined by application of rule 30 or rule 31, in that order:

Provided that where goods are intended for further supply as such by the recipient, the value shall, at the option of the supplier, be an amount equivalent to ninety percent of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person:

Provided further that where the recipient is eligible for full input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of goods or services.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 28 : किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्रदाय किए जाने से भिन्न विभिन्न या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य

जहां 25 की उपधारा (4) और उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच या जहां अभिकर्ता के माध्यम से किए जाने के भिन्न प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति हैं, वहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य,—

- (क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा;
- (ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी के माल या सेवाओं की प्रदाय का मूल्य होगा;
- (ग) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) में अवधार्य नहीं है तो उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से यथा अवधारित मूल्य होगा :

परन्तु जहां माल का इस रूप में प्राप्तिकर्ता द्वारा आगे और प्रदाय किया जाना आशयित है, वहां मूल्य, प्रदायकर्ता के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा:

परन्तु यह और कि जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र हैं, वहां बीजक में घोषित मूल्य को माल या सेवाओं का खूला बाजार मूल्य समझा जाएगा।